में नहीं कहा, चूंकि आवाज बड़ी तेजी से कही जा रही थी इसलिए मैंने भी थोड़ी कोशिश की कि आवाज तेज करूं। मैंने गुस्सा बिल्कुल नहीं किया।

श्री जनेश्वर मिश्र: आपने नेताजी को कह दिया।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: हां, मैंने कहा है, जो मैंने कहा है वह उन्हें जानते हैं। मैंने पुस्तकों के बारे में उल्लेख किया और सरकार वहां अपनी किताबों का पुनरीक्षण करवा रही है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि वे पुस्तकों की जानकारी लेंगे। हमने बार-बार इस सदन में यह कहा है और लोक सभा में भी यह कहा है कि क्या विकृतियां वहां की पुस्तकों में थीं। इसलिए वह गुस्से की बात नहीं है और न ही वह पहली बार बात कही गई है। जहां तक इसका सवाल है, मैंने इसी सदन में कहा था और प्रेमचन्द जी की पुस्तक भी बहाल की जा चुकी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इन मामलों में गंभीरता के साथ और सत्य को सामने रख करके ही बात की जानी चाहिए क्योंकि यह नाजुक मसला है। हमने तमाम किताबें छापी हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी तक एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ की पुस्तकें कभी दो करोड़ से ज्यादा नहीं छपी थीं। इस साल 6 करोड़ पुस्तकें छपी हैं। इसीलिए छपी हैं क्योंकि उनकी मांग है और उनके बारे में स्वीकृति है। मैं यह क्लेम करता हूं कि दुनिया में कहीं भी इस गुणवत्ता की इस क्वालिटी की पुस्तक इतनी सस्ती और इतनी अच्छी नहीं बनी है। मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ आते हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीब देशों को अच्छी क्वालिटी की और कीमत में सस्ती पुस्तकें देना चाहते हैं, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप अपनी पुस्तकें दिखाइए। जब मैंने अपनी पुस्तकें उन्हें दिखाई तो मैंने उनसे पूछा कि आप अगर इस क्वालिटी की किताबें छापेंगे तो इसका क्या दाम होगा? उन्होंने कहा 10 डालर, 15 डालर, 20 डालर और हमने कहा कि हमारी किताब का दाम एक डालर, सवा डालर और कुछ किताबों का दाम आधा डालर है। वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इस क्वालिटी की पुस्तकें हम छाप रहे हैं, इनकी मान्यता है, ये पढ़ाई जा रही हैं, ये बिक रही हैं। अगर कुछ लोगों को उसमें कहीं त्रुटि नजर आती है तो वे उसे हमारे सामने लायें। इसके बारे में मैंने खुले तौर पर कहा है। मेरा यह निश्चित मत है कि बच्चों को गलत बात नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। जब कभी भी गलती सामने लायी जायेगी, जिस दिन भी लायी जायेगी, उसे हम उसी वक्त सुधारेंगे। लेकिन गलती कोई लाते नहीं हैं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम

*165. **श्री मोती लाल वोरा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवार में से केवल एक व्यक्ति को ही कार्य देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा चार, पांच या पांच से अधिक लोगों के परिवारों के व्यक्तियों के लिए अनाज आवंटन हेतु क्या नियम लागू किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि एक से अधिक सदस्य वाले परिवारों को उक्त योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ऐसे लोगों के कल्याण हेतु इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार मुहैया करना तथा इसके द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और पोषाहारीय (न्यूट्रिशन) स्तरों मे सुधार लाना है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के जरिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए है।

नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तथापि, राहत रोजगार हेतु खाद्यान्न का आवंटन एक फार्मूला के आधार पर किया गया।

वर्ष 2002-03 के सूखे के लिए प्रभावित राज्यों में रोजगार की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए, अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम के विशेष घटक के अधीन प्रभावित राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन किया गया। इस प्रयोजन के लिए राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और प्रत्येक परिवार को औसतन पांच सदस्यों वाला माना गया। राज्य, जो सूखे से मामूली रूप से प्रभावित हुए उन्हें श्रेणी 'ए' में रखा गया, जिसके लिए एक महीने में दस दिन हेतु प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम के हिसाब से, ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवारों से एक व्यक्ति के लिए रोजगार का प्रावधान करने हेतु 20 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार के कवरेज को माना गया तथा साथ ही मजदूरी दर का न्यूनतम 25 प्रतिशत नकद में भुगतान किया जा रहा है। गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों को श्रेणी 'बी' के अन्तर्गत रखा गया जिसके लिए गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों का 50 प्रतिशत माना गया और अन्य शर्तें वहीं हैं। राजस्थान को नीचे उल्लिखित विशेष श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया:-

(क) राज्य के 74 सर्वाधिक बुरी तरह से प्रभावित ब्लाकों में सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करते हुए अन्य शर्तें यथावत् रखकर प्रत्येक ग्रामीण परिवार में

से एक व्यक्ति को एक माह में दस दिन के लिए प्रतिदिन 8 कि०ग्रा० प्रति व्यक्ति की दर से रोजगार।

(ख) अन्य सभी प्रखंडों के लिए एक महीने में दस दिन के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम की दर पर रोजगार। अन्य शर्तें वही हैं।

तथापि, सूखे के बाद के भाग (मई से जुलाई 2003) के लिए राजस्थान हेतु सभी इच्छुक परिवारों को एक महीने में 12 दिन के लिए 8 कि०ग्रा० प्रति व्यक्ति की दर से रोजगार प्रदान करने हेतु एक संशोधित आबंटन अनुमोदित किया गया था। जबकि भयंकर रूप से प्रभावित राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के लिए जुलाई 2003 तक खाद्यान्न प्रदान किया गया था, तथा तमिलनाडु के लिए यह सितम्बर, 2003 तक प्रदान किया गया, क्योंकि यह राज्य मुख्यतया उत्तर-पूर्वी मानसून (अक्टूबर-दिसम्बर) पर निर्भर करता है।

जहां कहीं भी अतिरिक्त आबंटन से उपयोगिता और वास्तविक रोजगार सृजन का औचित्य सिद्ध होता है, ऊपर वर्णित आबंटन खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में बाधक नहीं बनता है।

उपर्युक्त के आधार पर वर्ष 2002-03 के सूखे हेतु एस०जी०आर०वाई० के विशेष घटक से सूखा प्रभावित राज्यों को 87.36 लाख मीटरी टन खाद्यान्न मुफ्त जारी किया गया था।

प्राकृतिक आपदाओं, जिसमें सूखा भी शामिल है, की स्थिति में सभी अनिवार्य उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में वित्तीय एवं सम्भार तंत्र सहायता देकर सहयोग करती है। निचले स्तर पर राहत के वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

Food for work programme in drought affected areas

†*165. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to provide work to only one person in the affected family under Food for Work Scheme for people of drought affected areas;

(b) if so, the rule being implemented by Government for allocation of foodgrains to the families having four, five or more than five members;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) whether Government are aware of the fact that families comprising more than one number are not getting any benefit of the said scheme; and

(d) if so, the action Government propose to take in this regard for welfare of such people?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI RAJNATH SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Sampoorna Grameen RozgarYojana (SGRY) Scheme is implemented by the Ministry of Rural Development, with the primary objective of providing additional wage employment in all rural areas and thereby providing food security and improving nutritional levels. The Special component of SGRY is for augmenting food security through additional wage employment in the calamity affected areas.

There was no restriction on the number of persons to be employed. However, the allocation of foodgrains for relief employment was made on the basis of a formula.

For the drought of 2002-03, foodgrains were allocated to the affected States under the Special component of SGRY Scheme, for generation of additional employment, mainly to compensate for the loss of employment in the affected areas. For this purpose, the States were classified into three categories and each household was considered of comprising of 5 members on an average. States which were moderately affected by drought were classified under Category "A" for whcih coverage of 20% Below Poverty Line (BPL) rural households was assumed for provision of employment to 1 person from each such rural household @ 5 kg per person per day for 10 days a month, with minimum of 25% of wage rate being paid in cash. Severely affected States were classified under Category "B" for which 50% of BPL rural households was assumed with other conditions remaining the same. Rajasthan was kept under Special category as indicated below:—

(a) 74 worst affected blocks in the State with universal coverage of all willing rural households with employment to one person from each such rural household @ 8kg per person per day for 10 days a month with other conditions remaining the same;

(b) For all other blocks, employment @ 6 kg person per day for 10 days a month with other conditions remaining the same.

However, for the later part of the drought (May to July 2003), a revised allocation for Rajasthan was approved for providing employment to all willing households @ 8 kg per person per day for 12 days a month. While the foodgrains for the severely affected States *viz.* Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Rajasthan was provided upto July, 2003, for Tamil Nadu it was provided upto September, 2003, as the State is mainly dependent on North-East Monsoon (October-December).

The allocation formula explained above did not come in the way of ensuring adequate supplies of foodgrains, wherever utilisation and actual employment generation justified additional allocations.

On the basis indicated above, 87.36 lakh MTs of foodgrains, free of cost, were released to the drought affected States from the Special component of SGRY, for the drought of 2002-03.

It is primarily the responsibility of the State Governments concerned to undertake all necessary measures in the wake of natural calamities including drought. The Central Government supplements the efforts of the State Governments with financial and logistic support. Distribution of relief at the ground level is the responsibility of the State Governments concerned.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय उपसभापति महोदया, माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने जवाब में इस बात का उल्लेख किया है, "नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तथापि, राहत रोजगार हेतु खाद्यान्न का आवंटन एक फार्मूला के आधार पर किया गया।"

माननीय उपसभापति महोदया, अगर आप इसको आगे देखेंगी तो आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि जो खाद्यान्न का आवंटन अकालग्रस्त प्रदेशों के लिए किया गया, उसे तीन हिस्सों में बांटा गया। मंत्री जी ने इस बात को इसमें स्वीकार किया है— "इस प्रयोजन के लिए राज्यों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया और प्रत्येक परिवार को औसतन पांच सदस्यों वाला माना गया। जो राज्य सूखे से मामूली रूप में प्रभावित हुए उन्हें "ए" श्रेणी में रखा गया जिसके लिए एक महीने में दस दिन हेतु प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम के हिसाब से, ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवारों से एक व्यक्ति के लिए"। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इस पर किसी प्रकार का

प्रतिबंध नहीं है लेकिन जो ''ए'' केटेगरी आपने रखी उसमें आपने प्रतिबंध लगाया कि एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और 20 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे ये रहने वाले हैं।

माननीय उपसभापति महोदया, मैं दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। इसमें उन्होंने कहा है— ''जो गंभीर रूप से प्रभावित राज्य हैं उन्हें ''बी'' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया और जिसके लिए गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को 50 प्रतिशत माना गया और अन्य शर्तें वहीं हैं।'' — इसका मतलब यह हुआ कि एक परिवार से एक व्यक्ति को आप रोजगार के अवसर अकालग्रस्त प्रदेशों में देंगे। जो मैंने पूछा था वह बात सही है।

मेरा तीसरा प्रश्न भी इसके साथ ही है जिसका जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। ''राज्य के 74 सर्वाधिक बुरी तरह से प्रभावित ब्लाकों में से सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों का कवरेज इसमें एक परिवार से एक व्यक्ति को एक माह में दस दिन के लिए 8 कि॰ग्रा॰ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से रोजगार।'' — माननीय मंत्री महोदय से मेरा पूछने का आशय यह है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नियुक्तियों में नहीं है, रोजगार देने में नहीं है। लेकिन आपके उत्तर से यह बात परिलक्षित होती है कि इसमें एक व्यक्ति को ही रोजगार का अवसर दिया गया और जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे उनमें भी आपने इसका उल्लेख किया है। लेकिन आखिर में आपने कहा है कि सन 2002-2003 से राजस्थान में चूंकि ऐसी स्थिति थी तो वहां पर सभी व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी केटेगरी ''ए'' केटेगरी ''बी'' और गंभीर रूप से प्रभावित जो इलाके हैं उन इलाकों में क्या आपने एक-एक व्यक्ति को ही रोजगार दिया है? जो आपने कहा कि सर्वाधिक गंभीर प्रदेश है उसमें भी एक व्यक्ति को रोजगार की बात कही है। मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा था।

श्री राजनाथ सिंह: उपसभापति महोदया, मैं माननीय सम्मानित सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि फूड ग्रेन का जो आवंटन राज्य सरकारों के लिए होता है उसके लिए निर्धारित मानक हैं। उस मानक के आधार पर हम यह निकालते हैं कि कितने फूड ग्रेन का आवंटन उस राज्य को होना चाहिए। अब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कि केवल एक ही परिवार के एक व्यक्ति को ही रोजगार का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। यह राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे जितने भी लोगों को रोजगार देना चाहे दे सकती हैं लेकिन हमें कितना फूड ग्रेन उस राज्य को उपलब्ध कराना है, यह निकालने के लिए एक फार्मूला हमारे कृषि मंत्रालय ने तय किया है। जैसे ''ए'' केटेगरी है। ''ए'' केटेगरी में जो स्टेट्स आती हैं यानी जो कम सूखे से प्रभावित हैं अथवा आंशिक रूप से सूखे से प्रभावित हैं, उनके लिए बीपीएल फेमिलीज़ का 20 प्रतिशत हम लेते हैं। 20 प्रतिशत, साथ ही साथ महीने के दस दिन और पर हैड पांच किलोग्राम फूड ग्रेन—इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं कि एक महीने के लिए फूड ग्रेन का कितना ऐलोकेशन उस स्टेट को होना चाहिए

लेकिन यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि एक परिवार से दो, तीन, चार अथवा पांच के पांच सदस्यों को भी वे रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना चाहती हैं तो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जो कुछ भी उत्तर में लिखा गया है, वह बिल्कुल सही है।

श्री मोती लाल वोरा: महोदया, खाद्यान्न का आवंटन उस राज्य में जिस हिसाब से करेंगे, रोजगार के अवसर उसी आधार पर मिलेंगे। अगर आपने खाद्यान्न का आवंटन कम किया है तो उस राज्य में सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसलिए आप खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाइए। जो गंभीर रूप से प्रभावित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में आवंटन आप वहां का औसत निकालकर करते हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि या तो आप इस फार्मूले को बदलिए। यदि फार्मूला नहीं बदलते हैं तो लोगों को इस बात का आभास हो जाएगा कि केवल एक व्यक्ति को रोजगार दिया है। आपके पास खाद्यान्न का इतना अभाव नहीं है, आज खाद्यान्न आपके गोदामों में सड़ रहा है इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और भूख से उनकी मृत्यु न हो।

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, नेचुरल कैलामिटी से निपटने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, वह राज्य सरकारों की होती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इस नेचुरल कैलामिटी से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों को, उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करना — यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि फार्मूले के आधार पर कितना ऐलोकेशन होना चाहिए, केवल उतना ही ऐलोकेशन हमने नहीं किया है बल्कि उससे अधिक ऐलोकेशन भी हमने किया है। जैसे मैं राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूं कि यदि फार्मूले के आधार पर देखा जाए तो वहां पर 1.30 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन का ऐलोकेशन होना चाहिए लेकिन हमने जो अतिरिक्त सहायता उनको उपलब्ध कराई है, वह 32.05 लाख मीट्रिक टन है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के बारे में, कर्नाटक के बारे में - मैं ऐसी सारी स्टेट्स के डाटा यहां पर दे सकता हूं। मैं माननीय सदस्य से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा फार्मूला है, जो इस फार्मूले से कहीं ज्यादा उपयुक्त है, तो माननीय सदस्य उसकी जानकारी हमें दे दें, निश्चित रूप से हमारा मंत्रालय इस संबंध में विचार करेगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you have the information about other States also, you can lay it on the table of the House, so that other Members from different States may also know what is the allocation.

SHRI B. J. PANDA: Thank you, Madam. Madam, this programme of food for work programme is perhaps the single most important programme for providing a lifeline to the most desperate sections of this

country's population. My question to the hon. Minister relates to the provision that a minimum of 25 per cent of the wage rate has to be paid in cash. This often comes in the way of really deserving people in the poorest States from getting the benefit of the scheme, because these States are so case trapped that although they are given the foodgrain by the Central Ministry, they simply benefit the cash available to pay that 25 per cent minimum requirement. Madam, hon. Minister has also mentioned that the Central Government supplements the efforts of the State Governments with financial and logistic support. I request for some statistics to be given as to what kind of financial support has been given to the various States to implement this scheme, and also what criteria are followed to provide this cash assistance for that 25 per cent.

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, फूड ग्रेन के अतिरिक्त सी॰आर॰एफ॰ और एन॰सी॰सी॰एफ॰ से भी फाइनेंशियल असिसटेंस स्टेट गवर्नमेंट्स को उपलब्ध कराई जाती है। मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं कि एन॰सी॰सी॰एफ॰ और सी॰आर॰एफ॰ से कितनी सहायता राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गयी है। महोदया, यदि मैं सारे राज्यों का विवरण पढ़ना प्रारम्भ करूंगा तो शायद समय समाप्त हो जाए। यदि आप अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य को जारकारी दे दूंगा कि हर स्टेट को एन॰सी॰सी॰एफ॰ और सी॰आरएफ से कितनी सहायता उपलब्ध कराई गयी है।

SHRI P. G. NARAYANAN: Madam, Tamil Nadu is facing severe drought following the Government of India's failure in implementing the Distress Sharing formula on Cauvery, though it was formulated six months ago. Since the Government's failure in implementing the formula has caused more havoc to the drought conditions in the State, will the Agriculture Minister compensate the State by allocating six lakh tonnes of rice as was done in the case of Andhra Pradesh?

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि अन्य राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खरीफ के ड्राउट के लिए जहां मई से जुलाई तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, वहीं पर तमिलनाडु को सितम्बर तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। उसका कारण यह है कि वहां पर नॉर्थ-ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसम्बर के बीच आता है और तमिलनाडु के द्वारा कोई भी ऐसी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है जिस पर विचार किया जा सके। यदि ड्राउट सिचुएशन तमिलनाडु में है और यदि वहां स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी डिमांड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष आएगी तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे।

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत आपने राजस्थान में भयंकर सूखे से पीड़ित 74 ब्लॉकों

के अंदर रिलैक्सेशन देते हुए इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार को कहा। राज्य सरकार ने उसी के आधार पर पीड़ित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए काम पर लगाया लेकिन आज तक उनको अनाज नहीं मिला। उसका एक कारण रहा कि केन्द्र सरकार ने अनाज का ऐलोकेशन करते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा। आज भी चार महीने हो गए हैं लेकिन अकाल के समय जिन लोगों ने काम किया, जिन मज़दूरों ने मजदूरी की, उनको गेहूं उपलब्ध नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, अब से पहले तो राजस्थान के साथ यह होता रहा कि वहां कांग्रेस की सरकार थी और केन्द्र में आपकी सरकार थी और आपने राज्य द्वारा मांगा हुआ अनाज उपलब्ध नहीं कराया लेकिन अब तो वहां आपकी सरकार आ गई है। तो जिन मज़दूरों ने अकाल से पीड़ित होने के कारण मज़दूरी की और उनको मज़दूरी नहीं मिली, वह मज़दूरी उन्हें मिल सके, इसके लिए कब तक आप ज्यादा गेहूं रिलीज़ करने जा रहे हैं?

उपसभापति: उनको जवाब देने का टाइम तो दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहूंगा कि सरकार चाहे बी॰जे॰पी॰ की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट की हो, इस आधार पर हम स्टेट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम इस आधार पर राज्यों को असिस्टेंस देते हैं कि वह राज्य सूखे से किस सीमा तक प्रभावित है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, मैं इस सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितनी सहायता इस बार भारत सरकार के द्वारा राजस्थान को उपलब्ध कराई गई है, उससे अधिक सहायता कभी भी वहां पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। राजस्थान के कुछ गांवों में जाकर मुझे स्वयं भी निरीक्षण करने का अवसर मिला और वहां के सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने संतोष ही नहीं बल्कि प्रसन्नता जाहिर की है कि भारत सरकार के द्वारा राजस्थान को जितनी सहायता इस बार दी गई है, आज तक के इतिहास में उतनी सहायता कभी भी उपलब्ध नहीं कराई गई — 32.05 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन और यदि सब मिलाकर देखा जाए तो 4000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राजस्थान को सूखे से निपटने के लिए उपलब्ध कराई गई है। ...(व्यवधान)...

श्री मूलचन्द मीणा: मैं तो यह जानना चाह रहा था कि जिन मज़दूरों का मज़दूरी नहीं मिली है, अनाज नहीं मिला है, उस अनाज को राज्य सरकार ने आपसे मांगा है।

उपसभापति: श्री राजीव शुक्ल, बोलिए।

श्री राजीव शुक्ल: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस राज्य को सबसे ज्यादा खाद्यान्न दिया गया क्योंकि परसेप्शन यह है कि जो मुख्य मंत्री ज्यादा प्रभावशाली है, वह यहां से ज्यादा ले जाता है। हरेक व्यक्ति आंध्र प्रदेश से तुलना क्यों करता है? आप कृपया हमें यह बताने का कष्ट करें कि किस राज्य को सबसे ज्यादा खाद्यान्न दिया गया?

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न और आर्थिक सहायता, दोनों जो उपलब्ध कराई गई हैं, वह राजस्थान को उपलब्ध कराई गई है। मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से यह जानना चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है? क्योंकि माननीय सदस्य हमारे मित्र भी हैं। मैं इनकी मंशा से अच्छी तरह से परिचित हूं। इसलिए मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहूंगा कि यदि आप आन्ध्र प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये कम्पैरेटिव फिगर भी यहां पर देना चाहता हूं। राजस्थान को जहां पर 32.05 लाख मीट्रिक टन फूडग्रेन की सहायता दी गई है वहीं पर आन्ध्र प्रदेश को केवल 17.20 लाख मीट्रिक टन की दी गई है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Setting up of an IIT

*161. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level team of Professors belonging to various IITs visited Basara in Andhra Pradesh to study suitability of the site to set up an IIT in the area;

(b) if so, the findings of the study;

(c) whether it is also a fact that Chief Minister of Andhra Pradesh had written a letter to Prime Minister requesting to set up an IIT in Basara, which has the India's only shrine of Goddess Saraswati; and

(d) if so, the steps taken in this direction?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) Chief Minister of Andhra Pradesh had written a letter requesting Prime Minister to consider a proposal for setting up an IIT at Basara, Adilabad District, Andhra Pradesh as a special case. The Government of India's endeavour is to extend the benefit of quality technical education as provided in IITs to as many students in the country as possible. Since opening of new IITs requires huge investments, presently the Government of India is not considering opening of any new IIT in the country. However, cost-effective options